

स्वस्थ और परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न ख : 4179

13 फरवरी, 2019 प्रश्न संख्या

ख

4179. श्री

श्री ;

क्या स्वास्थ्य विभाग यह बताने को कृपा करे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि अस्पताल से बाहर जन्म लेने वाले बच्चों के लिए एम्स, दिल्ली म नवजात सघन परिचया यूनिट नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण ह;
- (ख) दिल्ली के ऐसे अस्पतालों को संख्या कितनी है, जहां अस्पताल के बाहर जन्म न लेने वाले बच्चों के लिए नवजात सघन परिचया यूनिट को सुविधा उपलब्ध है, और उनके नाम क्या ह;
- (ग) क्या आर०एम०एल० अस्पताल म अस्पताल से बाहर जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को माताओं के लिए वाड नहीं है और ऐसे रोगियों को अस्पताल के फ्लोर अथवा सीढ़ियों पर सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है;
- (घ) यदि हां, तो आरएमएल अस्पताल म मातृवाड सुविधा उपलब्ध नहीं होने के क्या कारण ह; और
- (ङ) सरकार द्वारा आरएमएल अस्पताल म माताओं के लिए वाड-निमाण हेतु क्या आवश्यक कदम उठाए गए ह?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): क्षमता के अभाव के मद्देनजर, एम्स, नई दिल्ली म अन्यत्र जन्मे बच्चों के लिए विशेष सुविधा नहीं है। तथापि, विरल विकारों, नैदानिक चुनौती अथवा आपात कक्ष म जीवन सहायता पर निर्भर अन्यत्र जन्म बच्चों के बिस्तर को उपलब्धता के आधार पर बाल रोग आईसीयू म भर्ती किया जाता है। विशेषीकृत सजरी अथवा परिचया को आवश्यकता वाले अन्यत्र जन्मे बच्चों को बाल रोग सजरी और बाल रोग कार्डियोलॉजी को तहत तथा लेजर अथवा सजरी को प्री-मैच्योरिटी को रेटिनोपैथी को आवश्यकता वाले अन्यत्र जन्मे बच्चों को आर.पी. सटर हाई डिपडसी यूनिट (एचडीयू) म भर्ती किया जाता है।

(ख): दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के डॉ. आरएमएल अस्पताल म अन्यत्र जन्मे बच्चों का एक एनआईसीयू उपलब्ध है।

(ग) से (ङ): डॉ. आरएमएल अस्पताल म अलग मातृ वाड नहीं है। तथापि, अन्यत्र जन्मे बच्चों के एनआईसीयू म 8 मातृ बिस्तर और 8 कंगारू मदर केयर (केएमसी) केयर उपलब्ध है। इस अस्पताल म रुग्ण माताओं के लिए प्रसूति एवं स्त्री रोग वाड भी उपलब्ध है। सरकार ने डॉ. आरएमएल अस्पताल म 25 बिस्तर वाले सामान्य मातृत्व वाड के निमाण को अनुमोदित किया है।
